HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 1665/2026

Farukh S/o Arjun, Aged About 62 Years, R/o Ghatmika, Police Station Pahadi, District Deeg. (Currently In District Jail, Deeg).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Harendra Singh
For Respondent(s)	:	Mr. Vivek Choudhary, PP

HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR

Order

07/05/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अन्तर्गत पुलिस थाना– कोतवाली दौसा, जिला– दौसा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या– 81/2022 अपराध अन्तर्गत धारा 379 भारतीय दंड संहिता में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त को प्रकरण में झूठा संबद्ध किया गया है। प्रकरण में उक्त चोरी का वाहन अन्य सहअभियुक्त अजरू से बरामद हुआ था और उसका जमानत आवेदन पूर्व में स्वीकार किया जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त का प्रकरण अन्य सहअभियुक्त अजरू से बेहतर स्थिति में है। प्रकरण में इस प्रकार का कोई तथ्य अभिलेख पर नहीं है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने उक्त वाहन अन्य सहअभियुक्त से चोरी की जानकारी प्राप्त होने पर खरीद किया हो। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 02.12.2025 से अभिरक्षा में चल रहा है। प्रकरण में आरोपित अपराध मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध में अभियोग पत्र

प्रस्तुत हो चुका है। प्रकरण के विचारण में लंबा समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाए।

विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया। उनका तर्क है कि प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त के पुत्र अजरू से वाहन की बरामदगी हुई है तथा अन्य सहअभियुक्त द्वारा इस संदर्भ में यह तथ्य दर्शित किया गया है कि उसने प्रार्थी/अभियुक्त को उक्त वाहन बेचान किया है। उनका यह भी तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त एक अभ्यस्त अपराधी है और पूर्व में लगभग 35 प्रकरणों में मुलजिम रह चुका है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाता है तो प्रार्थी/अभियुक्त की पुनः अपराध में संबद्ध होने की संभावना है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन अस्वीकार किया जाए।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट रूप से आया है कि उक्त पिकअप वाहन प्रार्थी/अभियुक्त से बरामद हुआ है, अपितु अन्य सहअभियुक्त से चोरी के एक अन्य प्रकरण में बरामद हुई है। इस प्रक्रम पर प्रकरण के गुणावगुणों पर कोई टिप्पणी किया जाना अपेक्षित नहीं है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, प्रार्थी/अभियुक्त की अभिरक्षा की अवधि तथा प्रकरण मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होने के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए, मैं प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य समझता हूँ।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **फारूख पुत्र अर्जुन** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु पचास हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पच्चीस–पच्चीस हजार रुपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो संबंधित थानाधिकारी के माध्यम से प्रार्थी/अभियुक्त व उसके प्रतिभू के वर्तमान पते

सत्यापित करने के उपरांत प्रार्थी/अभियुक्त को अविलम्ब निम्न शर्तों पर जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

शर्तः–

1. जमानत पर आजाद होने के 7 दिवस के अंतर्गत प्रार्थी/अभियुक्त अपना वर्तमान पता एवं मोबाइल नंबर, जो वह उपयोग में ले रहा है, उसका विवरण संबंधित थानाधिकारी को उपलब्ध कराएगा व संबंधित थानाधिकारी उक्त पते व मोबाइल नंबर को सत्यापित करेगा। यदि प्रार्थी/अभियुक्त अपने वर्तमान पते व मोबाइल नंबर में कोई परिवर्तन करता है, तो उसकी सूचना भी तुरंत प्रभाव से संबंधित थानाधिकारी एवं संबंधित न्यायालय को देगा।
2. प्रार्थी/अभियुक्त प्रत्येक माह की 25 तारीख को, विचारण की समाप्ति तक, संबंधित पुलिस थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। संबंधित पुलिस थानाधिकारी को यह निर्देशित किया जाता है कि वह प्रार्थी/अभियुक्त की उपस्थिति दर्ज करते हुए नियमित रजिस्टर का संधारण करेगा एवं उक्त उपस्थिति की रिपोर्ट उसी दिन संबंधित विचारण न्यायालय को बिना किसी विलंब के प्रेषित करेगा। यदि प्रार्थी/अभियुक्त उक्त शर्त का उल्लंघन करता है, तो संबंधित लोक अभियोजक उक्त आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत को निरस्त करने हेतु संबंधित न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने को स्वतंत्र रहेगा।

इस आदेश की एक प्रति संबंधित थानाधिकारी को सख्त अनुपालना हेतु भेजी जावे।

(PRAVEER BHATNAGAR),J

RAMESHWAR /14